रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102020-222763
CG-DL-E-27102020-222763

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2020/कार्तिक 5, 1942
No. 548] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2020/KARTIKA 5, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

सं. 33/2020-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 672(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित “फ्लूओरोइलास्टोमर्स (FKM)” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 6/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2019, जिसे सा.का.नि. 52(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिकरण अधिसूचना संख्या 7/3/2020-डीजीटीआर, दिनांक 7 फरवरी, 2020, जिसे दिनांक 7 फरवरी, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है;

और जहाँ कि केंद्र सरकार ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की अवधि को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 19/2020-सीमा शुल्क(एडीडी) दिनांक 21 जुलाई, 2020 जिसे सा.का.नि. 459(अ), दिनांक 21 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत 27 अक्तूबर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ा दिया था;

और जहाँ कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की अवधि को और आगे बढ़ने का का अनुरोध किया है।

अत: अब, उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 6/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2019, जिसे सा.का.नि. 52(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, अंकों और शब्द "27 अक्तूबर, 2020" के स्थान पर अंकों और शब्द "27 नवम्बर, 2020" को प्रतिस्थापित किया जायेगा |

[फा. सं. 354/10/2019–टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 6/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2019, को सा.का.नि. 52(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2020-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 जुलाई, 2020 जिसे सा.का.नि. 459(अ), दिनांक 21 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

No. 33/2020 -Customs (ADD)

G.S.R. 672(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/3/2020-DGTR, dated the 7th February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 7th February, 2020, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Fluoroelastomers (FKM)' (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 6/2019-Customs (ADD), dated the 28th January, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 52(E), dated the 28th January, 2019;

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country up to and inclusive of the 27th October, 2020, *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 19/2020-Customs (ADD), dated the 21st July, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 459(E), dated the 21st July, 2020;

And whereas the designated authority has requested for further extension of the anti-dumping duty on the subject goods originating in or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 6/2019-Customs (ADD), dated the 28th January, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 52(E), dated the 28th January, 2019, namely:-

In the said notification, in paragraph 3, for the figures and word "27th October, 2020", the figures and word "27th November, 2020" shall be substituted.

[F. No. 354/10/2019-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 6/2019-Customs (ADD), dated the 28th January, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 52(E), dated the 28th January, 2019 and was last amended by notification No. 19/2020-Customs (ADD), dated the 21st July, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 459(E), dated the 21st July, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2020.10.27 19:45:38 +05'30'